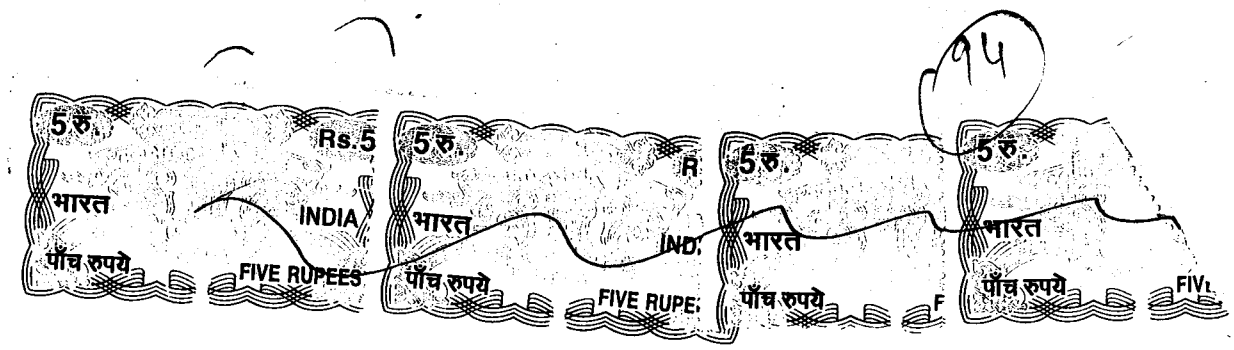

94

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश कंन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2017 निगरानी R 1245-PB-2017

पप्पुलाल पिता प्रभुलाल बलाई,
निवासी–ग्राम पाल्याखेड़ी तहसील सीतामऊ
जिला मन्दसौर —— आवेदक

———विरूद्ध———

1– ताराबाई बेवा राजेश बलाई,
2– विद्या बाई पति बगदीराम बलाई
3– मोहनलाल पिता हीरालाल बलाई
4– शान्तिराम पिता नानुराम बलाई
5– अवन्ति बाई बेवा लाला बलाई
6– दशरथ पिता लाला बलाई
7– फकीरचन्द पिता लाला बलाई

समस्त निवासीगण–ग्राम पाल्याखेड़ी तहसील
सीतामऊ जिला मन्दसौर ———अनावेदकगण

श्री दिनेश चौधरी अभि: द्वारा उज्जैन पर प्रस्तुत 31-5-17

पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर कलेक्टर मन्दसौर के प्रकरण क्रमांक 9/निगरानी/15–16 में पारित आदेश दिनांक 30/03/17 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :–

01. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एवं **विधान के** विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

02. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने का आदेश प्राथमिक दृष्टि में **ही विधि, विधान** एवम् प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । **अधीनस्थ** योग्य न्यायालय ने प्रकरण की वस्तु स्थिति को देखे व समझे बगैर आदेश **पारित किया हैं** अगर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1245–पीबीआर/17 जिला मन्दसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–5–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 30–3–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक की निगरानी इस निष्कर्ष के साथ निरस्त की गई है कि संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप उन्हें आवेदन पत्र पर निगरानी सुनने का अधिकार नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	